

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 268/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

राम मुण्डा

- विक्रेता

समीपा खलखो

- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

28.6.2018

## आदेश

आवेदक राम मुण्डा पिता स्व० पाण्डेया मुण्डा ग्राम तिरला, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने समीपा खलखो पिता श्री चौहस खलखो ग्राम बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	वाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
तिरला	78	23	132	0.21

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 024934 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 530 दिनांक 13.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम पुन्डी मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार रतनु मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास रकबा 9.90 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजाररु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि क्रिय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 9.69 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिस मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण राम मुण्डा पिता स्व० पाण्डेया मुण्डा को समीपा खलखो पिता श्री चौहस खलखो के साथ ग्राम तिरला के खाता सं० 23 खेसरा संख्या 132 का रकबा 0.21 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 7000.00(सात हजाररु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

28.6.2018

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

28.6.2018